



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 माघ, 1942 (श०)

संख्या-122 राँची, सोमवार,

15 फरवरी, 2021 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

08 फरवरी, 2021

एस0 ओ0 - 23

The Commercial Courts, Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018 की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति से इस विषय पर पूर्व निर्गत विधि विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0-1220, दिनांक-24.05.2016 एवं अधिसूचना सं0-1476 दिनांक-29.06.2016 को अवक्रमित करते हुए:-

1. झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 01-01 (एक-एक) न्यायालय को, तीन लाख रुपये से अन्यून एवं एक करोड़ रुपये तक मूल्य के वाणिज्यिक वाद या विवाद के संबंध में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु, वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करती है।
2. झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश के 01-01(एक-एक) न्यायालय को, एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक वाद या विवाद के संबंध में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु, वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करती है, एवं

3. कंडिका-(b) के अंतर्गत गठन होने वाले जिला न्यायाधीश स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश/न्यायादेश के विरुद्ध अपील श्रवण की शक्ति प्रदान करती है।
4. उक्त हेतु पदस्थापित पदाधिकारी उन्हें आवंटित कार्यों के साथ उपरोक्त न्यायालयों के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
5. इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार संबंधित जिले की स्थानीय सीमाएँ होगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

((बी0/विधि-कोर्ट गठन-क-02/2016-206/जे0, रांची)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी।

विधि विभाग

अधिसूचना

08 फरवरी, 2021

एस0 ओ0 - 23

निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी0/विधि-कोर्ट गठन-क-02/2016-206/जे0, रांची)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी।

NOTIFICATION

S.O. -23

In exercise of the power conferred by section 6 of The Commercial Courts, Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018, the State Government of Jharkhand, in consultation with the High Court of Jharkhand, Ranchi superseding the previously issued Notification No.-1476, dated-29.06.2016 and Notification No.-1220, dated-24.05.2016 of Law Department, Jharkhand, Ranchi on the subject, is hereby pleased to:-

1. Constitute 01 (one) Court of the Civil Judge (Senior Division) in each district of the State of Jharkhand, as a Commercial Court to exercise original jurisdiction in respect of commercial disputes where the value of the suit or dispute is not less than Rs. 3 (three) Lacs and up to Rs. 1 (one) Crore;
2. Constitute 01 (one) Court of the District Judge in each district of the State of Jharkhand, as a Commercial Court to exercise original jurisdiction in respect of commercial disputes where the value of the suit or dispute exceeds Rs. 1 (one) Crore;
3. Designate the Court of District Judge in each district as Commercial Appellate Court to exercise appellate jurisdiction and dispose of the appeals arising out of the judgements and orders passed by a Commercial Court below the level of the District Judge;
4. The deputed Officers shall execute above assignment in addition to their allotted work; and
5. The territorial jurisdiction of these courts shall be the local limits of the concerned District.

This Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

(File No.- B/Vidhi-Court Gathan-Ka-02/2016-206/J)

By the order of Governor of Jharkhand,

Sanjay Prasad,
Principal Secretary-cum-L.R.
